भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-87
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

†*87. **श्री मलैयारासन डी:.**
श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है;
(ख) यदि हां, तो उसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(घ) इस योजना के लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत किए जाने की संभावना है;
(ङ) क्या सरकार ने इस योजना के तहत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) इस योजना के तहत कवर किए जाने वाले संभावित राज्यों का ब्यौरा और उनकी संख्या क्या है और क्या सरकार ने इस योजना के तहत तमिलनाडु राज्य को शामिल किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क)से (च):विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

माननीय संसद सदस्य श्री मलैयारासन डी. और श्री थरानिवेंथन एम. एस. द्वारा 'पीएम विद्यालक्ष्मी योजना' के संबंध में दिनांक 02.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 87 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): भारत सरकार ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक **नई** केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी को अनुमोदित किया है ताकि भारत के किसी भी युवा को भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वित्तीय बाधाएं न रोक सकें। एक सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से सुलभ विशेष ऋण उत्पाद विकसित किया गया है जो बिना जमानत के, बिना गारंटर के शिक्षा ऋण प्रदान करता है। बैंकों को कवरेज का विस्तार करने के लिए सहायता देने हेतु, भारत सरकार द्वारा 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, इस योजना के तहत 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% ब्याज सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) के तहत भारत में व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम अपनाने के लिए 4.5 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों को पहले से दी जा रही पूर्ण ब्याज सब्सिडी के अतिरिक्त है। पीएम-विद्यालक्ष्मी का उद्देश्य युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच को सर्वसुलभ बनाने के लिए पिछले दशक में उठाए गए कदमों के दायरे और पहुंच का विस्तार करना है।

(घ) और (ड.): पीएम-विद्यालक्ष्मी के तहत, भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश पाने वाले सभी मेधावी छात्र, यदि वे चाहें तो शिक्षा ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 22 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। नवीनतम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग के आधार पर क्यूएचईआई का चयन किया जाता है। इसके अलावा, पीएम-विद्यालक्ष्मी के तहत, 3% ब्याज अनुदान के लिए, प्रत्येक वर्ष नए छात्रों के लिए 1 लाख स्लॉट उपलब्ध हैं। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को 3% ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करने के लिए 2024-25 से 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

(च): तमिलनाडु सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मेधावी छात्र, जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते हैं, इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के पात्र हैं।

*****